

[2024] 6 एससीआर 375 : 2024 आईएनएससी 406

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अन्य

बनाम

भारत संघ व अन्य

(रिट याचिका (सिविल) सं. 645/2022)

07 मई 2024

[न्या. सुश्री हिमा कोहली एवं न्या. श्री अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

विचारणीय विवादक

निर्माताओं, प्रवर्तकों और विज्ञापनदाताओं की ओर से बहुत कम/शून्य जवाबदेही के साथ प्रकाशित/प्रदर्शित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों की संख्या।

शीर्ष टिप्पणियां

भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन हेतु दिशानिर्देश, 2022 - विज्ञापन - भ्रामक विज्ञापन - भ्रामक विज्ञापन - निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों की जिम्मेदारी और कर्तव्य:

अभिनिर्धारित: विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसियां एवं समर्थक, झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले ऐसे विज्ञापन किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में काफी सहायक होते हैं। किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय उनके लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करना तथा उसके लिए जिम्मेदारी लेना अनिवार्य है, जैसा कि दिशानिर्देश,

2022 के दिशानिर्देश सं. 8 में परिलक्षित होता है, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चों को संबोधित/लक्षित या उपयोग करने वाले विज्ञापनों से संबंधित है एवं दिशानिर्देश सं. 12 जो निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज्ञान की कमी या अनुभव की कमी के कारण उपभोक्ता के विश्वास का दुरुपयोग या शोषण न हो। दिशानिर्देश सं. 13 के अनुसार विज्ञापनों के समर्थन के लिए समुचित सावधानी बरतनी होगी तथा किसी उत्पाद का समर्थन करने वाले व्यक्ति को उस विशिष्ट वस्तु, उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव होना चाहिए जिसका समर्थन किया जाना प्रस्तावित है एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि यह भ्रामक नहीं होना चाहिए। [पैरा 21]

उपभोक्ता संरक्षण - जागरूकता - खाद्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्र - उपभोक्ता शिकायतों के लिए तंत्र को बढ़ावा देना:

अभिनिर्धारित: सभी वैधानिक प्रावधानों/नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों सहित उपरोक्त सभी प्रावधानों का एक ही उद्देश्य है, उपभोक्ताओं की सेवा करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें खरीद के लिए पेश किए जा रहे उत्पाद के प्रकार के बारे में जानकारी दी जाए, विशेष रूप से खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में है। हमारा विचार है कि उपर्युक्त मंत्रालयों को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए जो उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करे तथा उक्त शिकायत को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाए, न कि उसे केवल संबंधित राज्य प्राधिकरण को चिह्नित/अग्रेषित कर दिया जाए, जिससे उपभोक्ता को शिकायत के अंतिम परिणाम के बारे में कोई जानकारी न रहे।- [पैरा 22]

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 - नियम 7 - भारत का संविधान - स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का प्रवर्तन - उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता - विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा स्व-घोषणा:

अभिनिर्धारित: यह सुनिश्चित करने के लिए विधि में अधिनियमित किसी भी मजबूत तंत्र की अनुपस्थिति में कि विज्ञापनदाता पर दिशानिर्देश, 2022 में निर्धारित शर्तों का अक्षरशः पालन करने के दायित्व हैं, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों को लागू करना उचित समझा जाता है, जिसमें निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का उपभोक्ता का अधिकार शामिल है। इस कमी को भरने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से, किसी विज्ञापन को मुद्रित/प्रसारित/प्रदर्शित किए जाने से पहले, विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में परिकल्पित तर्ज पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी- स्व-घोषणा अपलोड किए बिना संबंधित चैनलों और/या प्रिंट मीडिया/इंटरनेट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाया जाएगा- उक्त निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि मानी जाएगी। [पैरा 23 और 24]

खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 - एफएसएसआई द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत करते हुए शपथपत्र दायर करने का निर्देश:

अभिनिर्धारित: भारतीय खाद्य, सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत करे तथा मांगी

गई प्रकृति या पदार्थ व गुणवत्ता के अलावा खाद्य पदार्थ बेचने पर जुर्माना (धारा 50), घटिया खाद्य पदार्थ के लिए जुर्माना (धारा 51), गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ के लिए जुर्माना (धारा 52), भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना (धारा 53) और बाहरी पदार्थ वाले खाद्य पदार्थ के लिए जुर्माना (धारा 54) से संबंधित ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में बताए- एफएसएसएआई को किसी भी भ्रामक विज्ञापन के संज्ञान में आने की स्थिति में, किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं कार्रवाई करने का अधिकार है। अतः, ऊपर निर्देशित रूप से दायर किए जाने वाले प्रस्तावित शपथपत्र में एफएसएसएआई द्वारा स्वयं की गई कार्रवाई की प्रकृति के अलावा वर्ष 2018 से एफएसएसए, 2006 के तहत प्राप्त शिकायतों और भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए उसके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का भी उल्लेख होगा। [पैरा 25 और 26]

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश - विज्ञापन - भ्रामक विज्ञापन - झूठे विज्ञापन:

अभिनिर्धारित: उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिवक्तागण को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुज्ञापन प्राधिकारियों के स्वतंत्र शपथपत्र दाखिल करें, जिसमें प्रेस/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रदर्शित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया जाए, जो डीएमआर, 1954 और नियमों, डीसी अधिनियम, 1940, एवं सीपी अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के विपरीत हैं। शपथपत्र में वर्ष 2018 से आगे की अवधि के लिए की गई कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। [पैरा 8]

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 - नियम 170 - भारत संघ को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 29 अगस्त, 2023 के

अपने पत्र की व्याख्या करने के लिए कहा गया था, जो सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और आयुष मंत्रालय के औषधि नियंत्रकों को संबोधित करते हुए जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एसयूडीटीएबी) ने अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 से हटा दिया जाए और उक्त सिफारिश पर कार्रवाई लंबित रहने तक, सभी अधिकारियों को उक्त नियम के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया था:

अभिनिर्धारित: एसयूडीटीएबी ने सिफारिश की थी कि नियम 170 को हटाने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की जाए। उक्त सिफारिश को अनुमोदन हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय के समक्ष रखा गया। मंत्रालय ने सिफारिश की कि यदि मसौदा अधिसूचना पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं तो अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जानी चाहिए - उक्त घटनाक्रम जुलाई, 2023 के महीने में घटित हुआ- हालाँकि, आयुष मंत्रालय ने सभी हितधारकों से मसौदा अधिसूचना की सिफारिशों/सुझावों पर आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए दिनांक 02 फरवरी, 2024 को अधिसूचना जारी की - मंत्रालय द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया गया- इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि मसौदा अधिसूचना पर कितनी आपत्तियाँ प्राप्त हुईं - आयुष मंत्रालय को उसके द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों में तेजी लाने का निर्देश दिया जाता है- न्यायालय के विचार में, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के पत्र के आधार पर जारी प्रशासनिक निर्देश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को तब तक स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि यह विधि में लागू रहता है- अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निर्देश दिया कि मंत्रालय दिनांक 29 अगस्त, 2023 के पत्र को तुरंत

वापस ले ले- इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया।
[पैरा 9, 10, 11]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (अध्याय III) - इसका उपयोग:

अभिनिर्धारित: जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (अध्याय III) के लिए एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं व झूठे/भ्रामक विज्ञापनों, जो जनता तथा उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, से संबंधित मामलों को विनियमित करने एवं एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है, तो उक्त प्रावधानों का उपयोग और अधिक जोश एवं तीव्रता के साथ किया जाना चाहिए। [पैरा 18]

अधिनियमों की सूची

औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986; औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945; केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत टीवी चैनल; खाद्य, सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006; केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021; केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994

मुख्य शब्दों की सूची

विज्ञापन; भ्रामक विज्ञापन; झूठे विज्ञापन; सेवा प्रदाताओं, निर्माताओं की जिम्मेदारी और कर्तव्य; विज्ञापनदाता; विज्ञापन एजेंसियां; स्वास्थ्य

के मौलिक अधिकार का प्रवर्तन; उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता; विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा स्व-घोषणा; उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन; अनुचित व्यापार पद्धति।

से उद्भूत मामले

सिविल मूल अधिकारिता: रिट याचिका (सिविल) सं. 645/2022

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

पक्षकारों की ओर से उपस्थितियां

याचीगण की ओर से अधिवक्तागण वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया, प्रभास बजाज, प्रियांशु त्यागी, अमरजीत सिंह, रिशव राय, सुश्री देवेशी चंद, दीपांशु कृष्ण।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण अति.महा.सा. के.एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मुकुल रोहतगी, विपिन सांघी, बलबीर सिंह, अरविन्द नायर, सी.यू. सिंह, शरथ नंबियार, विनायक शर्मा, रजत नायर, कनु अग्रवाल, शशांक बाजपेई, सुश्री प्रिया मिश्रा, ईशान शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, हरीश पांडे, शफीक अहमद, अजय शर्मा, मुकेश वर्मा, सुश्री प्रियंका, सनी, सुश्री अवनी सिंह, जितिन चतुर्वेदी, सुश्री भावना गेरा, दिव्यांश श्रीवास्तव, अमरीश कुमार, सिमरनजीत सिंह, गौतम तालुकदार, रौशल कुमार, सुश्री अपूर्वा दत्ता, सुश्री नेहा गुप्ता, सुश्री स्मिता जैन, करण जैन, ऋषभ पंत, निखिल रोहतगी, नमन टंडन, रोहित गांधी, अक्षय जोशी, सुश्री वंशजा शुक्ला, कुमार अनुराग सिंह, हनी खन्ना, सुश्री पल्लवी लंगर, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री करिश्मा मारिया, सुश्री बिद्या मोहंती, कात्यायनी सुहृद, सुश्री मृणमोई चटर्जी, सुश्री मृणाल गोपाल एलकर, सौरभ सिंह, सुश्री स्वाति घिलडियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, सुश्री नेहा सिंह, सुश्री अभिप्सा मोहंती, सुश्री इंदिरा भाकर, मुकेश कुमार वर्मा, कनु अग्रवाल, वरुण चुघ, वत्सल जोशी, राजेश सिंह चौहान, अनिल हुड्डा, विनीत सिंह, पीयूष बेरीवाल,

मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री साक्षी कक्कर, सुश्री लिमयिनला जमीर, अमित कुमार सिंह, सुश्री के. एनटोली सेमा, सुश्री चुबलेमला चांग, प्रांग न्यूमाई।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अन्तर्वर्ती आवेदन सं. 110011/2024

1. यह आवेदन प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई है कि भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष, याचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2024 को विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित उनके साक्षात्कार में दिए गए आपत्तिजनक बयानों का न्यायिक संज्ञान इस मामले के दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को इस न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाये।
2. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी सं. 5 से 7 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पिछली सुनवाई की तिथि पर भी उक्त साक्षात्कार का संदर्भ दिया गया था तथा प्रेस में छपे साक्षात्कार की एक प्रति विधिवत, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया को उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा था। इसके बावजूद अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
3. नोटिस जारी करें।
4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया ने कहा कि उनके ब्रीफिंग अधिवक्ता आईएमए के अध्यक्ष की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। वर्तमान कार्यवाही में उन्हें सह-प्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा। याचिकाकर्ता सं. 1-आईएमए के अधिवक्ता द्वारा अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व संशोधित ज्ञापन दाखिल किया जाएगा। अगली सुनवाई की तिथि अर्थात् दिनांक 14 मई, 2024 से पहले जवाब दाखिल किया जाना चाहिए।

रिट याचिका (सिविल) सं. 645/2022:

1. प्रत्यर्चीगण सं. 5 से 7/प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि सुनवाई की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को पारित आदेशों के अनुसरण में प्रत्येक समाचार पत्र के प्रासंगिक पृष्ठों की मूल प्रति, जिसमें प्रत्यर्चीगण सं. 5 से 7 द्वारा सार्वजनिक माफी प्रकाशित की गई है, जिसमें दिनांक 23 अप्रैल, 2024 को पारित इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने, भ्रामक विज्ञापन जारी करना जारी रखने तथा इस न्यायालय को दिए गए वचनों का उल्लंघन करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी गई है, दायर की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि रजिस्ट्री ने उक्त दस्तावेजों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। दस्तावेजों का दूसरा सेट, जो पहले से दाखिल समाचार पत्रों की मूल प्रतियों की फोटोकॉपी हैं, को दिन के दौरान दाखिल करने का प्रस्ताव है।
2. फोटोकॉपी जल्द से जल्द दाखिल की जानी चाहिए। रजिस्ट्री उसे लेखबद्ध करेगी।
3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को सेवा प्रदान की गई है जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया जाता है। हालाँकि, दिनांक 23 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश के पैरा 9 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में शपथपत्र दायर करने के लिए एनएमसी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। एनएमसी अगली सुनवाई की तिथि अर्थात् दिनांक 14 मई, 2024 से पहले शपथपत्र दायर करेगी।
4. पिछली सुनवाई की तिथि पर, निर्माताओं, संप्रवर्तक तथा विज्ञापनदाताओं की ओर से बहुत कम/शून्य जवाबदेही के साथ प्रकाशित/प्रदर्शित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वर्तमान

कार्यवाही में पक्षकार बनाना उचित समझा गया ताकि औषधि तथा चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 एवं नियम, औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की जांच की जा सके। भारत संघ द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण के आलोक में कि डीएमआर अधिनियम, 1954 का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र अनुज्ञापन प्राधिकारियों के हाथों में है, उन सभी को वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया गया था।

5. श्री के.एम. नटराज, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, जो पहले से ही आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत संघ की ओर से उपस्थित हैं, ने प्रस्तुत किया है कि आयुष मंत्रालय द्वारा पहले दायर शपथपत्र के अलावा, एक अतिरिक्त शपथपत्र दायर किया गया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी अलग-अलग शपथपत्र दायर किए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की न्यायालय द्वारा जांचे जा रहे मुद्दे के संबंध में कोई प्रमुख भूमिका नहीं है। संबंधित मंत्रालय आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय हैं।
6. याचिकाकर्ता-आईएमए के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थायी अधिवक्ता को सेवा प्रदान की गई है। केवल निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को ही नोटिस जारी किया गया है:
 - (i) हिमाचल प्रदेश;
 - (ii) झारखंड;

- (iii) केरल;
- (iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;
- (v) ओडिशा;
- (vi) पुदुचेरी;
- (vii) राजस्थान;
- (viii) तमिलनाडु;
- (ix) तेलंगाना;
- (x) उत्तराखंड; एवं
- (xi) पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विद्वान अधिवाक्तागण ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

7. उत्तराखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पहले ही एक शपथपत्र दायर किया जा चुका है तथा एक अतिरिक्त शपथपत्र दायर किया जाना प्रस्तावित है।
8. उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्वान अधिवक्तागण को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुज्ञापन प्राधिकारियों के स्वतंत्र शपथपत्र दाखिल करें, जिसमें प्रेस/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रदर्शित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया जाए, जो डीएमआर, 1954 और नियमों, डीसी अधिनियम, 1940, एवं सीपी अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के विपरीत हैं। शपथपत्र में वर्ष 2018 से

आगे की अवधि के लिए की गई कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

9. सुनवाई की पिछली तिथि को उजागर हुए मुद्दे पर आते हुए, जब भारत संघ को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अपने पत्र को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था तथा सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं आयुष मंत्रालय के औषधि नियंत्रकों को संबोधित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 से हटा दिया जाए एवं उक्त सिफारिश पर कार्रवाई लंबित रहने तक, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे उक्त नियम के तहत कोई कार्रवाई शुरू न करें, विद्वान अति.महा.सा. यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नियम 170 को दिल्ली, बॉम्बे व केरल के उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न कार्यवाहियों में चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01 मई, 2023 को याचिकाओं के एक समूह में पारित आदेश के अनुसरण में, मुख्य मामला रि.या.(सि.) सं. 321/2019 है, निर्देश जारी किए गए थे कि एसयूडीटीएबी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत संघ द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय उसके संचार की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के लिए लागू नहीं किया जाएगा और उक्त अंतरिम व्यवस्था जारी रहेगी।
10. यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद, एसयूडीटीएबी ने सिफारिश की थी कि नियम 170 को हटाने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की जाए। उक्त सिफारिश को अनुमोदन हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय के समक्ष रखा गया। मंत्रालय ने सिफारिश की कि यदि मसौदा अधिसूचना पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं तो अंतिम अधिसूचना तीन महीने के

भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए तथा यदि बड़ी संख्या में आपत्तियां/सुझाव प्राप्त होते हैं तो अंतिम अधिसूचना छह महीने के भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए।

11. उपरोक्त वृद्धि जुलाई, 2023 के महीने में घटित हुआ। हालाँकि, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 02 फरवरी, 2024 को ही अधिसूचना जारी की, जिसमें आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से मसौदा अधिसूचना की सिफारिशों/सुझावों पर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। 30 दिनों की अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आयुष मंत्रालय द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया गया है। विद्वान अति.महा.सा. हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि मसौदा अधिसूचना पर कितनी आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए। आयुष मंत्रालय को अपने द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित गति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
12. हमारे विचार में, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के पत्र के आधार पर जारी प्रशासनिक निर्देश, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को तब तक स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि यह विधि में लागू रहता है।
13. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री नटराज ने निर्देश दिया कि मंत्रालय दिनांक 29 अगस्त, 2023 के पत्र को तत्काल वापस ले लेगा। तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
14. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर शपथपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत टीवी चैनलों के लिए निर्धारित नियामक तंत्रों की श्रृंखला का उल्लेख किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रसारकों के स्वयं नियामक निकाय हैं, जिनका गठन प्रसारकों या उनके संघ द्वारा किया जाता है तथा उनका कार्य विभिन्न

कार्यों का निष्पादन करना है, जिसमें प्रसारकों द्वारा कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता का पर्यवेक्षण, आश्वासन व अनुपालन शामिल है, उपर्युक्त संहिताओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रसारकों को मार्गदर्शन प्रदान करना, उन शिकायतों का निपटान करना जिनका निपटान निश्चित समय सीमा के भीतर प्रसारकों द्वारा नहीं किया गया है, अपीलों की सुनवाई करना और समय-समय पर प्रसारकों को मार्गदर्शन/परामर्श जारी करना भी शामिल है। यह भी कहा गया है कि जहां प्रसारक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उक्त नियामक निकाय के मार्गदर्शन/सलाह का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, वहां स्व-नियामक निकाय 15 दिनों के भीतर मामले को निरीक्षण तंत्र को भेजेगा।

15. शपथपत्र में निरीक्षण तंत्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली अंतर-विभागीय समिति को संदर्भित किया गया है, जिसे शिकायतों की सुनवाई करने एवं दोषी प्रसारक को सलाह देने/चेतावनी देने/निंदा करने/नफरत करने/झांटने या ऐसे प्रसारक से चेतावनी कार्ड या अस्वीकरण तथा सामग्री को हटाने/संशोधित करने सहित माफी मांगने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है। अंतिम विकल्प यह है कि चैनल या कार्यक्रम को निश्चित समयावधि के लिए अप्रसारित कर दिया जाए। शपथपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया है।
16. शपथपत्र में प्रिंट मीडिया के संबंध में नियामक तंत्र और वर्ष 2018 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई समग्र कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2018 से 03 मई, 2024 के बीच टीवी चैनलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की गणना से पता चलता है कि उपरोक्त अवधि में कुल 1645 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 53 प्रसारकों को भेजी गईं, 769 एससीआई को भेजी गईं, 235 संबंधित

विभागों/नियामकों को भेजी गई और 22 पीसीआई को भेजी गई। केवल 566 शिकायतों का ही जवाब दिया गया है। विद्वान अति.महा.सा. ने कहा कि मंत्रालय के पास टीवी चैनलों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए अंततः की गई कार्रवाई के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

17. वर्ष 2018 से अब तक विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए प्रसारकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का सारांश निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए केवल 60 मामलों में प्रसारकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। शपथपत्र में आयुष मंत्रालय के साथ समन्वित कार्रवाई का अलग से उल्लेख किया गया है। इसमें अश्लीलता के आधार पर मंत्रालय द्वारा की गई *स्वप्रेरित* कार्रवाई का भी उल्लेख है। एफएम रेडियो पर प्रसारित भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में कार्रवाई के केवल 3 मामले हैं। बताया जाता है कि भारतीय प्रेस परिषद को वर्ष 2018 से भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित 77 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन 77 मामलों में से 39 को दोषपूर्ण होने के कारण बंद कर दिया गया, 15 को प्रत्यर्थीगण के इस आश्वासन पर बंद कर दिया गया कि वे भविष्य में ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे तथा 17 मामले अभी भी चल रहे हैं।
18. हमारा विचार है कि जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (अध्याय III) के लिए एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं व झूठे/भ्रामक विज्ञापनों, जो जनता तथा उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, से संबंधित मामलों को विनियमित करने एवं एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है, तो उक्त प्रावधानों का उपयोग और अधिक जोश एवं तीव्रता के साथ किया जाना चाहिए।

19. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि केन्द्र सरकार ने एक उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है जो कार्यात्मक है तथा धारा 18 में वर्णित इसकी शक्तियां एवं कार्य काफी व्यापक और सर्वव्यापी हैं।
20. यह ध्यान देने योग्य है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अपने शपथपत्र के साथ दिनांक 09 जून, 2022 की अधिसूचना संलग्न की है, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम एवं भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन के लिए दिशानिर्देश, 2022 निर्धारित किए गए हैं, जो सरोगेट विज्ञापन, मुफ्त दावा विज्ञापन, बाल लक्षित विज्ञापन और कानून द्वारा निषिद्ध विज्ञापनों के निषेध से संबंधित हैं। दिशानिर्देश, 2022 में अन्य बातों के अलावा, विशेष रूप से “चारा विज्ञापन”, “प्रचारक” और “सरोगेट विज्ञापन” को परिभाषित करता है। खाद्य और स्वास्थ्य उत्पादों सहित झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों पर केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट का उल्लेख अनुलग्नक आर-4 में किया गया है और यह दर्शाता है कि जुलाई, 2020 से अप्रैल, 2024 तक भ्रामक विज्ञापनों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कुल नोटिस 163 हैं। उक्त 163 नोटिसों में से 58 बंद कर दिए गए तथा शेष 105 प्रक्रियाधीन बताए गए हैं। की गई कार्रवाई की प्रकृति और प्राधिकरण की गतिविधियों पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है, जबकि प्राधिकरण को झूठे/भ्रामक विज्ञापनों के सामने आने पर स्वतः कार्रवाई करने का भी अधिकार है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय को एक अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में झूठे/भ्रामक विज्ञापनों को नोटिस करने/सूचित किए जाने पर केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया हो।
21. हमारा दृढ़ मत है कि विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसियां एवं समर्थक, झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

सार्वजनिक हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले ऐसे विज्ञापन किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में काफी सहायक होते हैं। किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय उनके लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करना तथा उसके लिए जिम्मेदारी लेना अनिवार्य है, जैसा कि दिशानिर्देश, 2022 के दिशानिर्देश सं. 8 में परिलक्षित होता है, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चों को संबोधित/लक्षित या उपयोग करने वाले विज्ञापनों से संबंधित है एवं दिशानिर्देश सं. 12 जो निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज्ञान की कमी या अनुभव की कमी के कारण उपभोक्ता के विश्वास का दुरुपयोग या शोषण न हो। दिशानिर्देश सं. 13 के अनुसार विज्ञापनों के समर्थन के लिए समुचित सावधानी बरतनी होगी तथा किसी उत्पाद का समर्थन करने वाले व्यक्ति को उस विशिष्ट वस्तु, उत्पाद या सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव होना चाहिए जिसका समर्थन किया जाना प्रस्तावित है एवं यह सुनिश्चित करना होगा कि यह भ्रामक नहीं होना चाहिए।

22. वैधानिक प्रावधानों/नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों सहित उपरोक्त सभी प्रावधानों का एक ही उद्देश्य है, उपभोक्ताओं की सेवा करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें खरीद के लिए पेश किए जा रहे उत्पाद के प्रकार के बारे में जानकारी दी जाए, विशेष रूप से खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में है। हमारा विचार है कि उपर्युक्त मंत्रालयों को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए जो उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करे तथा उक्त शिकायत को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाए, न कि उसे केवल संबंधित राज्य प्राधिकरण को चिह्नित/अग्रेषित कर दिया जाए, जिससे उपभोक्ता को शिकायत के अंतिम परिणाम के बारे में कोई जानकारी न रहे।

23. उपरोक्त के मददेनजर और यह सुनिश्चित करने के लिए विधि में अधिनियमित किसी भी मजबूत तंत्र की अनुपस्थिति में कि विज्ञापनदाता पर दिशानिर्देश, 2022 में निर्धारित शर्तों का अक्षरशः पालन करने के दायित्व हैं, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों को लागू करना उचित समझा जाता है, जिसमें निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का उपभोक्ता का अधिकार शामिल है। इस कमी को भरने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से, किसी विज्ञापन को मुद्रित/प्रसारित/प्रदर्शित किए जाने से पहले, विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में परिकल्पित तर्ज पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी, जो इस प्रकार है:

"7. विज्ञापन कोड.- (1) केबल सर्विस में दिखाए जाने वाले विज्ञापन इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे कि वे देश के कानूनों के अनुरूप हों तथा उनसे उपभोक्ताओं की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

(2) ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो-

- (i) किसी मूलवंश, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता है;
- (ii) भारत के संविधान के किसी प्रावधान के विरुद्ध है;
- (iii) लोगों को अपराध के लिए उकसाता हो, अव्यवस्था या हिंसा फैलाता हो, या विधि का उल्लंघन करता हो या किसी भी तरह से हिंसा या अश्लीलता का महिमामंडन करता हो;
- (iv) आपराधिकता को वांछनीय के रूप में प्रस्तुत करता है;

- (v) राष्ट्रीय प्रतीक या संविधान के किसी भाग या किसी राष्ट्रीय नेता या राज्य के गणमान्य व्यक्ति या शख्सियत का शोषण करता है;
- (vi) महिलाओं के चित्रण में सभी नागरिकों को दी गई संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन होता है। विशेष रूप से, ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो महिलाओं की अपमानजनक छवि पेश करता हो। महिलाओं को ऐसे ढंग से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए जो उनके निष्क्रिय, विनम्र गुणों पर जोर देता हो तथा उन्हें परिवार और समाज में अधीनस्थ, गौण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता हो। केबल ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके केबल सेवा में प्रसारित कार्यक्रमों में महिला रूप का चित्रण सुरुचिपूर्ण एवं सौंदर्यपूर्ण हो तथा वह अच्छे सुरुचि और शालीनता के सुस्थापित मानदंडों के अंतर्गत हो;
- (vii) दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का शोषण करता है।
- (viii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, बिक्री या उपभोग को बढ़ावा देता है-
- (क) सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, वाइन, शराब, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थ;
- (5) किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होने चाहिए, जिनसे जनता को यह अनुमान हो कि विज्ञापित उत्पाद या उसके किसी घटक में कोई विशेष या चमत्कारी व अलौकिक गुण एवं गुणवत्ता है, जिसे साबित करना कठिन है।"

24. स्व-घोषणा पत्र को विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित प्रसारण सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जहां तक प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट में विज्ञापनों का सवाल है, मंत्रालय को आज से चार सप्ताह के भीतर एक समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया है। पोर्टल के सक्रिय होते ही, विज्ञापनदाताओं को प्रेस/प्रिंट मीडिया/इंटरनेट पर कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले एक स्व-घोषणा अपलोड करनी होगी। स्व-घोषणा को अपलोड करने का प्रमाण विज्ञापनदाताओं द्वारा संबंधित प्रसारक/मुद्रक/प्रकाशक/टी.वी. चैनल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जैसा भी मामला हो, अभिलेख के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उपरोक्त निर्देशानुसार स्व-घोषणा अपलोड किए बिना संबंधित चैनलों और/या प्रिंट मीडिया/इंटरनेट पर कोई भी विज्ञापन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि माना जाएगा।
25. खाद्य, सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को यह निर्देश देना उचित समझा गया है कि वह एक शपथपत्र दायर कर भारतीय खाद्य, सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत करे तथा मांगी गई प्रकृति या पदार्थ व गुणवत्ता के अलावा खाद्य पदार्थ बेचने पर जुर्माना (धारा 50), घटिया खाद्य पदार्थ के लिए जुर्माना (धारा 51), गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ के लिए जुर्माना (धारा 52), भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना (धारा 53) और बाहरी पदार्थ वाले खाद्य पदार्थ के लिए जुर्माना (धारा 54) से संबंधित ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में बताए।
26. हम यह नोट कर सकते हैं कि एफएसएसआई को किसी भी भ्रामक विज्ञापन के संज्ञान में आने की स्थिति में, किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा

किए बिना, स्वयं कार्रवाई करने का अधिकार है। अतः, ऊपर निर्देशित रूप से दायर किए जाने वाले प्रस्तावित शपथपत्र में एफएसएसआई द्वारा स्वयं की गई कार्रवाई की प्रकृति के अलावा वर्ष 2018 से एफएसएसए, 2006 के तहत प्राप्त शिकायतों और भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए उसके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का भी उल्लेख होगा।

27. बोर्ड सूची में शीर्ष क्रम पर दिनांक 09 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध किया जाये।

मामले का परिणाम: निर्देश जारी किये गये।

शीर्ष टिप्पण तैयार किया गया: अंकित ज्ञान

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*